

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/91/आर 94/8915/अलेसे-III/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 12555-60 दिनांक 14.01.2016 के द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे, कनिष्ठ लेखाकार को रिश्रवत लेने के प्रकरण में दिनांक 18.12.2015 से निलम्बित करते हुए निलम्बन काल में उनके वेतन का 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित), को उनके आवेदन-पत्र दिनांक 22.06.2016 के अनुसार राजस्थान सेवा नियम 53(1) के अर्न्तगत इन्हें मिल रहे निर्वाह भत्ते में माह जून 2016 से 50 प्रतिशत वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/आर 91/94/8915/अलेसे-III/483

दिनांक:- 5-8-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
2. कोषाधिकारी नागोर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित), मुख्यालय कोषालय नागोर।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)